

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 451]

नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 27 मई 2025 — ज्येष्ठ 6, शक 1947

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 27 मई 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 20-5/2025/11/6 .— चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि राज्य के औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के प्रावधानों के अनुसार औद्योगिक स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए प्रावधानों को संशोधित करना लोकहित में आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन, एतद् द्वारा, इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 20-21/2016/11/(6) दिनांक 15-03-2015 द्वारा जारी "छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015" में, इन नियमों के नियम 3.15 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, निम्नानुसार अग्रतर संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में,

कंडिका 3.15.2(ब) के पश्चात निम्नानुसार कंडिका जोड़ा जाए, अर्थात्-

“3.15.2(स) शासन द्वारा अंगीकृत औद्योगिक विकास नीति के क्रियान्वन में, या अन्यथा, औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु, राज्य शासन इन नियमों के किसी प्रावधान के अंतर्गत वर्ग विशेष के लिए आवश्यक रियायत/छूट का अधिसूचित आदेश जारी कर सकेगा।”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 27 मई 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 20-5/2025/11/6 .— औद्योगिक विकास नीति 2024-30 की कंडिका (12.5) के क्रमांक 8, 18, एवं 21 के क्रियान्वन के लिए, राज्य शासन, एतद् द्वारा, इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 20-21/2016/11/(6) दिनांक 15-03-2015 द्वारा जारी "छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015" में, इन नियमों के नियम 3.15.2(स) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, निम्नानुसार आदेश जारी करता है, अर्थात्:-

आदेश

1. छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 के अंतर्गत किये गए निर्धारण के आधार पर की गई गणना में, औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के परिशिष्ट 9.7,9.17,9.20 एवं परिशिष्ट (द-1) की कंडिका (7)अनुसार रियायत प्रदान की जाएगी।
2. उपरोक्त रियायत में औद्योगिक विकास नीति 2024-30 की कंडिका (12.4) के अनुसार वृद्धि हो सकेगी।
3. उपरोक्त रियायत प्राप्त करने वाले उद्यमी आवेदक को औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के कंडिका (12.19) अनुसार रोजगार प्रदान करना आवश्यक होगा।
4. उपरोक्त रियायत प्राप्त करने वाले उद्यमी आवेदक को छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 की कंडिका 2.10 का पालन करना आवश्यक होगा।
5. उपरोक्त रियायत प्राप्त करने हेतु उद्यमी आवेदक को छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 एवं औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के प्रावधानों के पालन करने के विषय में भू-आबंटन के आवेदन के साथ शपथ पत्र देना आवश्यक होगा। शपथ पत्र में यह भी स्पष्ट होगा कि गलत जानकारी देकर अनुदान प्राप्त करने की स्थिति में, अथवा प्रावधानों से अधिक अनुदान प्राप्त करने की स्थिति में, अथवा उद्यमी द्वारा प्रावधानों के पालन नहीं करने की स्थिति में, प्राप्त रियायत, 12.5 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित, उद्यमी द्वारा शासन को वापस किया जायेगा, अन्यथा राशि भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूली जा सकेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.